



संख्या- /जी0एस0/शिक्षा/A15-35/2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

- 9 JUN 2020

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : -मई, 2020

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-3493/एचएनबीयूएमयू/18-19 दिनांक 30 मई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2-- तत्कम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा-36(1) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है:-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 107 चन्दर नगर, देहरादून	एम0एस0सी0 नर्सिंग	18	2019-20
	बी0एस0सी0 नर्सिंग	60	
	पोस्ट बी0एस0सी0 नर्सिंग	30	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत, कार्यपरिषद्, नियामक संस्था के मानक पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण पर निर्णय लेकर विश्वविद्यालय स्तर से आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराया जाये।

3- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या- 334 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A15-35/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।